

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/772 बअनवान दरगाराम बनाम दाकू देवी वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुये

23 03
26 26

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। उपस्थित वकूलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुडालास पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 136/1 रकबा 0.1600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 137/502 रकबा 0.2500 हैक्टर के बीच बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक जज (अधीनस्थ) पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली